न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
वाद संख्या 63/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10-11-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता साक्ष्यवादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वास्ते कराये जाने प्रदर्श दस्तावेज व बहस पत्रावली दिनांक 30-11-22 को पेश हो।
30-11-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. वाद-पत्र पर बहस अंतिम वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादी का वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

वाद संख्या 63/2022

पीठासीन अधिकारी
(युगांतर शर्मा R.A.S)

बउनवान

1. रमेशचन्द आ0 कृपाशंकर जाति महाजन निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. कृष्णमुरारी आ0 कृपाशंकर जाति महाजन निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. द्वारका प्रसाद आ0 कृपाशंकर जाति महाजन निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

वादीगण

— :बनामः—

1. गिर्राज बाई पत्नी जगदीश प्रसाद जाति महाजन निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा— 88,89 आर0टी0एक्ट
उपस्थित—श्री महेन्द्र रेबारी (एडवोकेट)

निर्णय **दिनांकः—30.11.2022**

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1040 रकबा 0.001 है0, खसरा सं0 1041 रकबा 3.66 है0, खसरा सं0 1042 रकबा 0.01 है0, खसरा सं0 1043 रकबा 0.01है0,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

खसरा सं0 1044 रकबा 3.61 है0, कुल खसरा किता–5 योग रकबा 7.30 हैक्टेयर वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके सहखातेदार टीनेन्ट वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 है एवं काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण की वाद वर्णित खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 4043 रकबा 0.01 हैक्टेयर कृषि भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में किस्म जमीन गै0मु0 मन्दिर दर्ज है जबकि मौके पर कोई मन्दिर स्थापित नहीं है। सन् 1995 से 2015 में हुए सेटलमेन्ट में बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा सं0 1043 को गैर मु. मन्दिर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त खसरा नम्बर 715 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा खातली राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। सेटलमेन्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में की गई गलती को दुरूस्त कराने का अधिकार वादीगण को है और अन्त में निवेदन किया गया कि वादीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1043 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मन्दिर के स्थान पर पूर्व किस्म खातली दर्ज किया जावे।

वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द कर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 मिलन क्षेत्रफल 1995 से 2015 की प्रति पेश की गई एवं मौखिक साक्ष्य में वादी संख्या 1 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा सं0 1043 रकबा 0.01 हैक्टेयर दर्ज किस्म गै0मु0 मन्दिर के स्थान पर भूमि किस्म खातली दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के अनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा सं0 1043 किस्म गै0मु0 मन्दिर दर्ज चली आ रही है। वादीगण द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिकार घोषणा का प्रस्तुत किया गया जबकि अनुतोष किस्म परिवर्तन चाहा गया है। जिसकी पुष्टि के लिए राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग परिपत्र क्रमांक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

एफ 9 (33) रेवेन्यू–6/2010 दिनांक 28.04.2015 के अनुसार भू–प्रबंध संक्रिया बन्द होने के पश्चात् किस्म परिवर्तन के अधिकार राजस्व अधिकारियों को प्राप्त नहीं हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82–84 उक्त अनुतोष के लिए सुसंगत हैं। उक्त धाराओं में राजस्व मण्डल को रेफरेन्स/रिविजन की शक्तियां प्राप्त हैं। किस्म परिवर्तन या तो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से धारा 82 के तहत रेफरेन्स के द्वारा अथवा धारा 84 में राजस्व मण्डल की रिविजन की शक्तियों के तहत निस्तारित करवाया जा सकता है।

अतः वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होने से वादीगण का वाद–पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिक्री ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी.....व इजलास.....श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.).....

1 रमेशचन्द आ0 कृपाशंकर जा0महाजन नि0 बडाखेडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2 कृष्णमुरारी कृपाशंकर जा0महाजन नि0 बडाखेडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3 द्वारका प्रसाद आ0 कृपाशंकर जा0महाजन नि0 बडाखेडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

(वादीगण)

बनाम 1 गिर्राज बाई पत्नी जगदीश प्रसाद जा0 महाजन नि0 बडाखेडा तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2 स्टेट ऑफ राज0 जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88, 89 आर0टी0एक्ट।.....

मुकदमा नम्बर.....63 / दावा / 2022.....सन.....
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....हमरे.....
.....व हाजिरी

1.श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट(वादी)..... ।मिनजानिब मुद्दइ.....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।

.....निज.....मुबलिग.....बाबत.....
.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..30....माह.....11..... सन...2022.....को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर					
मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)